छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र

(निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक..... को (1) कु0/श्रीमती/श्री .....
.....आयु.....वर्ष.....पुत्री/पत्नी/पुत्र श्री.....
जाति .....निवासी ग्राम/मु0.....डाकखाना.....
तहसील.....जिला.....जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

(2).....(संस्थाध्यक्ष) पता.....
जनपद..... (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र /राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे एतत्पश्चात द्वितीय पक्ष कहा गया है। उसके मध्य निष्पादित किया जाता है।

चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्ते आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नियमावली 2012 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार करते हैं :-

1- द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 के अनुपालन में देगा।

2- प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जमा करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नामित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा।

3- द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु वाँछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा।

4- प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसाद देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित कर देगा।

5- प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कडाई से अनुपालन करेगा।

6- प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोडकर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।

7– उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष , द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुल्क वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।

प्रथम पक्ष : हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर.....

नाम...व पदनाम .....

पिता /पति का नाम.....

पता.....

साक्षी सं0–1

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता /पति का नाम.....

पता.....

साक्षी सं0–2 :–

हस्ताक्षर.....

नाम.व पदनाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता.....